न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 88/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री महेश कुमार मीणा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री संजय गोयनका पुत्र श्री काशीप्रसाद गोयनका मालिक फर्म गोयनका जनरल एवं बर्तन भण्डार, ए–10, बसंत विहार, बैंक ऑफ इण्डिया के समीप, गोपालपुरा मोड, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 12.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री केशव शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री महेश कुमार मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 14.03.2019 को मय जांच दल के घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु गोयनका जनरल एवं बर्तन भण्डार, ए–10, बसंत विहार, बैंक ऑफ इण्डिया के समीप, गोपालपुरा मोड, जयपुर पर पंहुचे। मौके पर संजय गोयनका उपस्थित मिले जिन्होंने जयन्त चांदवानी को दुकान का मालिक, स्वयं को दुकान का संचालनकर्ता एवं दुकान किराये पर होना बताया, जिनकी उपस्थिति में फर्म पर जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसी), 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (बीपीसी), 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आईओसी व 4 छोटे सिलेण्डर (1 आईओसी व 3 अन्य मार्का), एक लोहे की बांसुरी व एक पेचकस रखे हुए पाये गये। मौके पर केवल 1 घरेलू सिलेण्डर आईओसी के दस्तावेज व गैस डायरी प्रस्तुत की जो कि भूपेन्द्र सिंह के नाम से है। दुकान की तलाशी में एक घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) रखा पाया गया। मौके पर अप्रार्थी ने दुकान एवं सिलेण्डरों के संबंध में किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही उनके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (5 एचपीसी व 2 बीपीसी) व 4 छोटे सिलेण्डर (1 आईओसी व 3 अन्य मार्का) मय 95.900 किग्रा. एलपीजी, एक लोहे की बांसुरी व एक पेचकस जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 05.10.2023 को अधिवक्ता श्री केशव शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से दिनांक 18.01.2024 को पेश जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी की दुकान के नजदीक मन्दिर में दिनांक 14.03.2019 को भण्डारे का आयोजन था। दुकान के मन्दिर के नजदीक होने से मन्दिर में सेवार्थ दिये जाने वाले सामान को उसकी दुकान में ही रखा जा रहा था। उक्त जब्त सिलेण्डर भी उसी से संबंधित जो दुकान के बाहर रखे हुए थे। अप्रार्थी का उनसे कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी/अभिभाषक ने जवाब को ही बहस के रुप में स्वीकार करने का निवदेन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 12.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 14.03.2019 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों व छोटे सिलेण्डरों का रिफिलिंग के अवैध कार्य में उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी/अभिभाषक ने जवाब में अंकन किया 14.03.2019 को पास ही के मन्दिर में भण्डारा था और उसके लिए एकत्रित किया हुआ सामान उसकी दुकान में रखा हुआ था। जबकि जब्ती दिनांक 14.03.2019 ही और उसी दिन भण्डारा था तो सामान दुकान में ना होकर मन्दिर में होना चाहिए था। साथ ही जब्त सामान में एक लोहे की बांसुरी(जो कि अवैध रिफिलिंग में काम आती है) व एक पेचकस का मिलना घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग करना पुष्ट करता है। अप्रार्थी/अभिभाषक ने जब्त सिलेण्डरों से संबंधित कोई भी दस्तावेज मौके पर व आज दिनांक तक पेश नहीं किये। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (5 एचपीसी व 2 बीपीसी) व 4 छोटे सिलेण्डर (1 आईओसी व 3 अन्य मार्का) मय 95.900 किग्रा. एलपीजी, एक लोहे की बांसुरी व एक पेचकस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर एवं (तृतीय) जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR